

प्रेषक,

रजिस्टर्ड

अध्यक्ष,
प्रशासनाधिकारण-3, उ0प्र0,
पाचवां तल जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 उच्च न्यायालय, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

संख्या : ५१२ / पी0ए0-2024 / स0आ0-2024

दिनांक : २२ जुलाई, 2024

विषय:- शासनादेश संख्या-14 / 2024 / सा-3- 243 / दस- 2024 / 301 (1) / 2024, दिनांक 28 जून, 2024 के आलोक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली / नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने या नई पेंशन योजना में बने रहने के लिए एकमुश्त विकल्प के प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-9691 / आई0वी0एफ0- 82(पेंशन) / प्रशासन (ए), दिनांक 16 जुलाई, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में शासनादेश संख्या-14 / 2024 / सा-3- 243 / दस-2024 / 301(1) / 2024, दिनांक 28 जून, 2024 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु अपना विकल्प अभ्यावेदन आफ लाइन / आनलाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि प्रस्तावित विकल्प अभ्यावेदन इस कार्यालय के पत्रांक-24 / स0आ0-2024, दिनांक 09 जुलाई, 2024 के द्वारा कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति के साथ प्रेषित किया जा चुका है। (प्रति संलग्न)

अतः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु मेरे विकल्प अभ्यावेदन पर सम्यक् विचार करते हुए उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन माननीय न्यायालय से आदेश निर्गत कराने की कृपा करें।

Self attested
22/07/2024

भवदीय,
22/07/2024
(विकार अहमद अंसारी)
अध्यक्ष,
प्रशासनाधिकारण-3, एवं

प्रेषक,

स्पीड पोस्ट

सचिव,
सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकारण—, उ०प्र०,
पाचवां तल जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा० उच्च न्यायालय, उ०प्र०,
इलाहाबाद।

संख्या : २५ /स०आ०-२०२४

दिनांक : ०९ जुलाई, २०२४

विषय:-

श्री विकार अहमद अंसारी, अध्यक्ष, प्रशासनाधिकरण-३, एवं सदस्य,
प्रशासनाधिकरण-१, उ०प्र०, लखनऊ के पुरानी पेंशन योजना से
आच्छादित किये जाने के विकल्प पत्र को अग्रसारित किये जाने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-१४/ २०२४/ सा-३- २४३
/दस-२०२४/३०१(१)/२०२४, दिनांक २८ जून, २०२४ के अन्तर्गत इस कार्यालय में
तैनात श्री विकार अहमद अंसारी, अध्यक्ष, प्रशासनाधिकरण-३, एवं सदस्य,
प्रशासनाधिकरण-१, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा पुरानी पेंशन योजना को चुने जाने सम्बन्धी
विकल्प पत्र को मा० उच्च न्यायालय, उ०प्र० को अग्रसारित किये जाने हेतु अपेक्षा की
गयी है।

अतः श्री विकार अहमद अंसारी, अध्यक्ष, प्रशासनाधिकरण-३, एवं
सदस्य, प्रशासनाधिकरण-१, उ०प्र०, लखनऊ के पुरानी पेंशन योजना को चुने जाने
सम्बन्धी विकल्प पत्र पर संस्तुति के साथ अग्रसारित किया जा रहा है।

संलग्न:-उपरोक्त।

भवदीय,

९/७/२४
(कामता प्रसाद सिंह)

सचिव।

1. नाम - विकार अहमद अंसारी
2. पदनाम - असिस्टेंट, प्रशासनाधिकरण-3, ऊपर 2 व 3, प्रशासनाधिकरण-1, ऊपर 2
3. वेतनमान 199180 - 224180
4. विभाग का नाम - अस्सिस्टेंट आयोग एवं प्रशासनाधिकरण, ऊपर 2
5. विज्ञापित जारी करने वाले विभाग का नाम उच्च न्यायालय, इस्लामाबाद
6. विज्ञापित तिथि 30/05/2020
7. विभाग में नियुक्ति तिथि 21-01-2012
8. विभाग में योगदान तिथि 21-01-2012
9. सेवानिवृत्ति की तिथि 31-08-2024

श्री विकार अहमद अंसारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री स्व. नूर अहमद पुरानी पेंशन योजना () / नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर [Signature]
04/07/2024
नाम विकार अहमद अंसारी
पदनाम असिस्टेंट, प्रशासनाधिकरण-3, ऊपर 2 व 3, प्रशासनाधिकरण-1, ऊपर 2

घोषणा पत्र

श्री विकार अहमद अंसारी पदनाम असिस्टेंट, प्रशासनाधिकरण-3, ऊपर 2 व 3, प्रशासनाधिकरण-1, ऊपर 2 यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 09 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर [Signature]
04/07/2024
नाम विकार अहमद अंसारी
पदनाम असिस्टेंट, प्रशासनाधिकरण-3, ऊपर 2 व 3, प्रशासनाधिकरण-1, ऊपर 2

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री/श्रीमती विकार अहमद अंसारी पदनाम असिस्टेंट, प्रशासनाधिकरण-3, एवं असिस्टेंट, प्रशासनाधिकरण-1, ऊपर 2 व 3 को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना () / नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।